

न्यायालय उपखण्ड अधिकार अराई (अजमेर)

अधीकारी - श्री खेमा राम यादव (R.A.S.)
अर्थना पत्र संख्या - 433/2020 " उनवान सोदान बनाम रसाल

1. सोदान पुत्र स्व. हरकरण उम्र 53 साल जाति जाट
 2. परमेश्वर पुत्र स्व. हरकरण उम्र 40 साल जाति जाट
 3. नन्दराम पुत्र स्व. हरकरण उम्र 37 साल जाति जाट निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान।
- प्रार्थी

बनाम

1. रसाल पत्नी स्व. प्रभु
 2. जीतराम पुत्र स्व. प्रभु
 3. अन्नु नाबालिग पुत्री स्व. प्रभु जरिये संरक्षक माता रसाल पत्नी स्व. प्रभु सर्व जाति जाट निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान।
 4. ग्राम पंचायत आकोडिया जरिये सरपंच महोदय ग्राम पंचायत आकोडिया तहसील अराई जिला अजमेर।
 5. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान।
- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते ग्राम पंचायत आकोडिया के नामान्तरण संख्या 1725 प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.10.2014 को शून्य घोषित करने हेतु

!! निर्णय !!

दिनांक:-03.06.2022

1. संक्षिप्त में अपील की सार इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक अपील जरिये वकील रामदेव गुर्जर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टस के पिता एवं माता एवं रेस्पोंडेन्टस संख्या 01 लगायत 03 के दादे ससुर/दादा हरकरण पिता मोडू एवं श्रीमति निहाली उर्फ न्याला पत्नी हरकरण कि खातेदारी की आराजी ग्राम आकोडिया पटवार क्षेत्र आकोडिया तहसील अराई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1214 रकबा 0.0081 हैक्टैयर जिसमें अपीलान्टस एवं रेस्पोंडेन्टस संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वाधिकारी हरकरण पुत्र मोडू का राजस्व रिकार्ड में 01/12 हिस्सा एवं निहाली पत्नी हरकरण का 01/24 हिस्सा निहित था एवं खसरा संख्या 35



उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

02.1519 हैक्टैयर , खसरा संख्या 42 रकबा 00.0485 हैक्टैयर एवं खसरा संख्या 67 रकबा 08.0900 हैक्टैयर कुल खसरा 03 कुल रकबा 10.2904 हैक्टैयर जिसमें अपीलान्टस एवं रेस्पोजेन्टस संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वाधिकारी हरकरण का राजस्व रिकार्ड में 1/6 हिस्सा निहित था एवं निहाली पत्नी हरकरण का 1/12 हिस्सा निहित था एवं खसरा संख्या 1657 रकबा 6.8199 हैक्टैयर , खसरा संख्या 1658 रकबा 0.0405 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1659 रकबा 2.3785 हैक्टैयर, खसरा संख्या 2438/1657 रकबा 0.7119 हैक्टैयर, खसरा संख्या 31 रकबा 1.4886 हैक्टैयर, खसरा संख्या 40 रकबा 0.6229 हैक्टैयर कुल खसरा 06 कुल रकबा 12.0623 हैक्टैयर में अपीलान्टस एवं रेस्पोजेन्टस संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वाधिकारी हरकरण पुत्र मोडू का राजस्व रिकार्ड में 01/03 हिस्सा एवं निहाली पत्नी हरकरण का 01/06 हिस्सा निहित था एवं खसरा संख्या 1002 रकबा 0.3074 हैक्टैयर खसरा संख्या 1213 रकबा 0.2346 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1649 रकबा 3.1227 हैक्टैयर, खसरा संख्या 30 रकबा 0.0081 हैक्टैयर, खसरा संख्या 38 रकबा 3.6081 हैक्टैयर, खसरा संख्या 443 रकबा 0.2023 हैक्टैयर, खसरा संख्या 05 रकबा 3.8832 हैक्टैयर, खसरा संख्या 73 रकबा 1.0679 हैक्टैयर, खसरा संख्या 76 रकबा 3.0014 हैक्टैयर कुल खसरा 09 कुल रकबा 15.4357 हैक्टैयर में अपीलान्टस एवं रेस्पोजेन्टस संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वाधिकारी हरकरण पुत्र मोडू का राजस्व रिकार्ड में 05/18 हिस्सा एवं निहाली पत्नी हरकरण का 08/36 हिस्सा निहित था। एवं खसरा संख्या 2440/1661 रकबा 0.9546 हैक्टैयर, खसरा संख्या 36 रकबा 0.2912 हैक्टैयर, खसरा संख्या 39 रकबा 0.2993 हैक्टैयर, खसरा संख्या 444 रकबा 0.0809 हैक्टैयर, खसरा संख्या 566 रकबा 0.1375 हैक्टैयर, खसरा संख्या 06 रकबा 1.0113 हैक्टैयर, कुल खसरा संख्या 06 कुल रकबा 02.7748 हैक्टैयर में अपीलान्टस एवं रेस्पोजेन्टस संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वाधिकारी हरकरण पुत्र मोडू का राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा निहित है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में हिस्सा निहित होने पर विरासत नामान्तरण व रिलिजडीड के अनुसार नामान्तरण संख्या 1725 दिनांक 20.10.2014 को रेस्पोजेन्टस संख्या 04 के द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 के द्वारा स्वीकृत किया गया है जो कि अवैध व शून्य है चूंकि हरकरण के वारिसान इस प्रकार है:- हरकरण फौत दिनांक 06.04.2014 के वारिसान श्रीमति निहाली उर्फ न्याला, सोदान, परमेश्वर पुत्र, नन्दाराम पुत्र, फारसी पुत्री, सुरमा पुत्री तथा प्रभु पुत्र फौत जिसके वारिसान इस प्रकार हैं:- रसाल पत्नी, जीतराम पुत्र तथा अन्नु पुत्री। इस प्रकार मृतक हरकरण के 07 विधिक वारिसान हैं जिनमें से निहाली उर्फ न्याला व परसा व सुरमा द्वारा दिनांक 29.09.2014 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपीलान्टस एवं रेस्पोजेन्टस संख्या 01 लगायत 03 को हकत्याग दिनांक 29.04.2014 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 15 क्रम संख्या 2612, पृष्ठ संख्या 330 से 338 के तहत उपपंजीयक कार्यालय अराई में निष्पादित करवा दिया था निष्पादिन करने के पश्चात मृतक खातेदार हरकरण एवं न्याला उर्फ निहाली का हिस्सा अपीलान्टस एवं रेस्पोजेन्टस संख्या 01 लगायत 03 के पक्ष में स्वीकृत किया गया जिसको रेस्पोजेन्टस संख्या 01 लगायत 03 का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अपीलाधीन नामान्तरण के तहत अपीलान्टस के बराबर बराबर हिस्सा इन्द्राज कर दिया गया जो गलत है। इस कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2014 को ग्राम पंचायत आकोडिया द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 के तहत अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1725 पारित किया है जो कि विधि विरुद्ध होने से अपीलान्टस व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की जा रही है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरण में अपीलान्ट के अधिकारों का हनन होने से अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अपीलान्ट दिनांक 25.11.2020 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी की प्रति प्राप्त करने गये तब पटवारी हल्का ने आनलाइन जमाबन्दी की प्रति प्राप्त करने हेतु निर्देश दिये, अपीलान्ट द्वारा आनलाईन जमाबन्दी प्राप्त करने पर अपीलान्ट का हिस्सा कम इन्द्राज



उपखण्ड अधिकारी
 अराई (अजमेर)

की जानकारी हुई तब अपीलान्त द्वारा तहसील से अपीलाधीन नामान्तरण कि नकल दिनांक 26.11.2020 को प्राप्त करने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर अपने अधिवक्ता से दिनांक 01.12.2020 को सम्पर्क किया तक सम्पर्क करने पर माननीय न्यायालय के सम्मल जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की जा रही है। परन्तु विधिक आक्षेपों से बचने के लिये धारा 05 मियाद प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

- वकील अपीलान्त ने धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुये निवेदन किया कि फौती नामान्तरण जो गलत अंकन के आधार पर स्वीकृत किया गया व दिनांक 20.10.2014 से अपील पेश होने तक का समय क्षम्य किया जाना आवश्यक है क्योंकि अपीलान्त ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं जिनको समय पर जानकारी नहीं हुई सदभाविक है। जो अपील को गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना आवश्यक है ताकि अपीलान्तस के हित अधिकार सुरक्षित रह सके अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पेश अपील में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

हमारे द्वारा वकील वादी की धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई मनन किया गया अतः न्यायहित में मियाद को क्षम्य करते हुये अपी अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील दिनांक 16.12.2020 को दर्ज रजिस्टर की गई तथा अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये दिनांक 07.01.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 03 तथा दिनांक 09.03.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 29.04.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02, 03 ने उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि वे अपीलान्तस के अपील में वर्णित सभी तथ्यों से सहमत हैं उन्हें अपीलान्तस के तथ्य स्वीकार है तथा कोई आपत्ति नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व 05 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

- दिनांक 27.05.2020 को वकील अपीलान्तस की बहस सुनी गई वकील अपीलान्तस ने अपील की बहस में निवेदन किया कि अपीलान्तस के पिता एवं माता एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 01 लगायत 03 के दादे ससुर/दादा हरकरण पिता मोडू एवं श्रीमति निहाली उर्फ न्याला पत्नी हरकरण कि खातेदारी की आराजी ग्राम आकोडिया पटवार क्षेत्र आकोडिया तहसील अरांई में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1214 रकबा 0.0081 हैक्टैयर जिसमें अपीलान्तस एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वाधिकारी हरकरण पुत्र मोडू का राजस्व रिकार्ड में 01/12 हिस्सा एवं निहाली पत्नी हरकरण का 01/24 हिस्सा निहित था एवं खसरा संख्या 35 रकबा 02.1519 हैक्टैयर , खसरा संख्या 42 रकबा 00.0485 हैक्टैयर एवं खसरा संख्या 67 रकबा 08.0900 हैक्टैयर कुल खसरा 03 कुल रकबा 10.2904 हैक्टैयर जिसमें अपीलान्तस एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वाधिकारी हरकरण का राजस्व रिकार्ड में 1/6 हिस्सा निहित था एवं निहाली पत्नी हरकरण का 1/12 हिस्सा निहित था एवं खसरा संख्या 1657 रकबा 6.8199 हैक्टैयर , खसरा संख्या 1658 रकबा 0.0405 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1659 रकबा 2.3785 हैक्टैयर, खसरा संख्या 2438/1657 रकबा 0.7119 हैक्टैयर, खसरा संख्या 31 रकबा 1.4486 हैक्टैयर, खसरा संख्या 40 रकबा 0.6229 हैक्टैयर कुल खसरा 06 कुल रकबा 12.0623 हैक्टैयर में अपीलान्तस एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वाधिकारी हरकरण पुत्र मोडू



उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

राजस्व रिकार्ड में 01/03 हिस्सा एवं निहाली पत्नी हरकरण का 01/06 हिस्सा निहित था एवं खसरा संख्या 1002 रकबा 0.3074 हैक्टैयर खसरा संख्या 1213 रकबा 0.2346 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1649 रकबा 3.1227 हैक्टैयर, खसरा संख्या 30 रकबा 0.0081 हैक्टैयर, खसरा संख्या 38 रकबा 3.6081 हैक्टैयर, खसरा संख्या 443 रकबा 0.2023 हैक्टैयर, खसरा संख्या 05 रकबा 3.8832 हैक्टैयर, खसरा संख्या 73 रकबा 1.0679 हैक्टैयर, खसरा संख्या 76 रकबा 3.0014 हैक्टैयर कुल खसरा 09 कुल रकबा 15.4357 हैक्टैयर में अपीलान्टस एवं रेस्पोजेन्टस संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वाधिकारी हरकरण पुत्र मोडू का राजस्व रिकार्ड में 05/18 हिस्सा एवं निहाली पत्नी हरकरण का 08/36 हिस्सा निहित था। एवं खसरा संख्या 2440/1661 रकबा 0.9546 हैक्टैयर, खसरा संख्या 36 रकबा 0.2912 हैक्टैयर, खसरा संख्या 39 रकबा 0.2993 हैक्टैयर, खसरा संख्या 444 रकबा 0.0809 हैक्टैयर, खसरा संख्या 566 रकबा 0.1375 हैक्टैयर, खसरा संख्या 06 रकबा 1.0113 हैक्टैयर, कुल खसरा संख्या 06 कुल रकबा 02.7748 हैक्टैयर में अपीलान्टस एवं रेस्पोजेन्टस संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वाधिकारी हरकरण पुत्र मोडू का राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा निहित है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में हिस्सा निहित होने पर विरासत नामान्तरण व रिलिजडीड के अनुसार नामान्तरण संख्या 1725 दिनांक 20.10.2014 को रेस्पोजेन्टस संख्या 04 के द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 के द्वारा स्वीकृत किया गया है जो कि अवैध व शून्य है चूंकि हरकरण के वारिसान इस प्रकार हैं:- हरकरण फौत दिनांक 06.04.2014 के वारिसान श्रीमति निहाली उर्फ न्याला, सोदान, परमेश्वर पुत्र, नन्दाराम पुत्र, फारसी पुत्री, सुरमा पुत्री तथा प्रभु पुत्र फौत जिसके वारिसान इस प्रकार हैं:- रसाल पत्नी, जीतराम पुत्र तथा अन्नु पुत्री। इस प्रकार मृतक हरकरण के 07 विधिक वारिसान हैं जिनमें से निहाली उर्फ न्याला व परसा व सुरमा द्वारा दिनांक 29.09.2014 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपीलान्टस एवं रेस्पोजेन्टस संख्या 01 लगायत 03 को हकत्याग दिनांक 29.04.2014 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 15 क्रम संख्या 2612, पृष्ठ संख्या 330 से 338 के तहत उपपंजीयक कार्यालय अराई में निष्पादित करवा दिया था निष्पादिन करने के पश्चात मृतक खातेदार हरकरण एवं न्याला उर्फ निहाली का हिस्सा अपीलान्टस एवं रेस्पोजेन्टस संख्या 01 लगायत 03 के पक्ष में स्वीकृत किया गया जिसको रेस्पोजेन्टस संख्या 01 लगायत 03 का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अपीलाधीन नामान्तरण के तहत अपीलान्टस के बराबर बराबर हिस्सा इन्द्राज कर दिया गया जो गलत है। इस कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2014 को ग्राम पंचायत आकोडिया द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 के तहत अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1725 पारित किया है जो कि विधि विरुद्ध होने से अपीलान्टस व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की जा रही है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरण में अपीलान्ट के अधिकारों का हनन होने से अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ग्राम आकोडिया के नामान्तरण संख्या 1725



उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

दिनांक 20.10.2014 को निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान करावें तथा तहसीलदार अरांई को पुनः नामान्तरण करने की कार्यवाही के आदेश पारित करावें।


4. हमारे द्वारा वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। अतः वकील अपीलार्थी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत आकोडिया द्वारा दिनांक 20.10.2014 को पारित नामान्तरण संख्या 1725 को शून्य घोषित किया जाता है।

!! क्रियात्मक आदेश !!

अतः अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू.राज. अधि. 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम आकोडिया के नामान्तरण संख्या 1725 दिनांक 20.10.2014 को शून्य घोषित किया जाता है। तहसीलदार अरांई को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार विधिक वारिसान की जांच करते हुये नामान्तरण की कार्यवाही करें। तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 03/06/2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
अरांई (बिहार)